<u>फैक्स एवं ई-मेल</u>

पत्र सं0-जी0बी0टी0-30-31/2013......199......./जे0

बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिहार।

पटना, दिनांक-...06-01-14...

विषय:- **चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति विषयशीर्ष में निधि आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।**

....

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति विषयशीर्ष में आवंटन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र सं0-1182(14), दिनांक-02.06.2006, संकल्प सं0-1070(14) दिनांक-20.05.2006 एवं संकल्प सं0-94(14) दिनांक-07.02.2007 में निहित प्रावधानों के अनुरूप स्वीकृत्यादेश निर्गत कर उसकी प्रति भेजते हुए माँग का प्रस्ताव भेजा जाना है, जबकि प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों व दीवानी न्यायालयों के कर्मियों के संबंध में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्त्ति पर विचार करते समय सरकार द्वारा जारी उपरोक्त संकल्प के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण न्यायिक पदाधिकारियों व कर्मियों के चिकित्सा व्यय की क्षतिपूर्त्ति संबंधी भुगतान में अनावश्यक विलंब व पत्राचार करना पड़ता है।

अत: अनुरोध है कि न्यायमंडल में पदस्थापित न्यायिक पदाधिकारियों व न्यायालय के कर्मियों के संबंध में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्त्ति के प्रार्थना पर विचार करते समय या स्वीकृत्यादेश निर्गत करते समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र सं0-1182(14) दिनांक-02.06.2006, संकल्प संख्या-1070(14) दिनांक-20.05.2006 एवं संकल्प सं0-94(14) दिनांक-07.02.2007 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही विचारोपरांत स्वीकृत्यादेश पारित किया जाय तथा विभाग से राशि की मांग/आवंटन के संबंध में स्वीकृत्यादेश की प्रति अवश्य भेजा जाय।

विश्वासभाजन
6/1/14

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.......199......./**जे0,** **पटना, दिनांक:-**...06/01/14...

प्रतिलिपि:- निबंधक (स्थापना), उच्च न्यायालय, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/1/14

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

E:\Ajay\sanyut sachiv\BBT.doc